कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक 2961/ओबरा/33 वन्दो0 **दिनांक, 23-6- 2021.**

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67135 के मार्ग पटवध से बसुहारी मार्ग का आनलाईन प्रस्ताव अपलोड करनें के उपरान्त हार्ड कापी प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1772/यू0पी0/67135–पी0एम0जी0एस0वाई0/2020 दिनांक–26.11.2020 तथा इस कार्यालय के पत्रांक–1508/ओबरा/33 दिनांक– 11.12.2020.

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग का आनलाईन प्रस्ताव अपलोड करनें के उपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कापी पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था। तत्पश्चात प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में कमियों का उल्लेख करते हुए, प्रस्ताव की पांच प्रति मूल में संलग्न कर इस कार्यालय के पत्रांक–1508/ओबरा/33 दिनांक–11.12.2020 द्वारा पत्र में उल्लिखित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए, संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु आप द्वारा आज तक संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्यालय के पत्रांक–1508/ओबरा/33 दिनांक–11.12.2020 में उल्लिखित कमियों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके। अवलोकन हेतु सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

F:\New Folder\AM-5.Docx

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक।508/ओबरा/33 वन्दो0 दिनांक, 11-12-2020.

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड,
लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र।

विषयः– पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत स्वीकृत पैकेज संख्या यू0पी0 67135 के मार्ग पटवध से बसुहारी मार्ग का आनलाईन प्रस्ताव अपलोड करनें के उपरान्त हार्ड कापी प्रस्तुत करनें के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1772/यू0पी0/67135–पी0एम0जी0एस0वाई0/2020 दिनांक–26.11.2020

महोदय,

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा पटवध से बसुहारी मार्ग का आनलाईन प्रस्ताव अपलोड करनें के उपरान्त प्रस्ताव की हार्ड कापी पांच प्रतियों में इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्नलिखत कमियां पायी गयीः–

1. प्रस्ताव के साथ के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न नहीं किया गया है। कृपया के0एम0एल0 फाईल की सी0डी0 संलग्न करें।
2. प्रस्ताव के पेज संख्या 16 पर संलग्न परियोजना का औचित्य का स्पष्ट रुप से उल्लेख नहीं किया गया है। कृपया परियोजना के औचित्य का स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
3. प्रस्ताव के पेज संख्या 17 में ग्रामवार, चैनेजवार भूमि का विवरण संलग्न किया गया है, गाटा संख्या व क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए विवरण संलग्न करें।
4. प्रस्ताव के पेज संख्या 87 पर कुल बाधक वृक्षों की संख्या 1114 का उल्लेख किया गया है। प्रभावित होने वाले वृक्षो का प्रजातिवार वव्यासश्रेणीवार विवरण संलग्न नहीं किया गया है, मार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण में प्रभावित होने वाले वृक्षो का प्रजातिवार व व्यासश्रेणीवार विवरण संलग्न करें।
5. प्रस्ताव के पेज संख्या 105 से 109 पर संलग्न टोपेशीट पर सम्पर्क मार्ग को स्पष्ट रुप से चिन्हित नहीं किया गया है। टोपोशीट पर मार्ग को स्पष्ट रुप से चिन्हित करते हुए प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।
6. प्रस्ताव के पेज संख्या–136 व 137 पर संलग्न LAND SUITABILITY CERTIFICATE पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं है। सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित LAND SUITABILITY CERTIFICATE संलग्न करें।

7. प्रस्ताव के साथ संलग्न पेज संख्या–140 व 141 पर संलग्न राजस्व मानचित्र पर प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर का हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षरित राजस्व मानचित्र संलग्न करें।
8. प्रस्ताव के पेज संख्या 168 से 181 पर संलग्न क्षतिपूरक वृक्षरोपण के प्राक्कलन पर प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। हस्ताक्षरित प्राक्कलन संलग्न करें।
9. प्रस्ताव के पेज संख्या 182 पर संलग्न वन अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में संलग्न प्रमाण पत्र गलत फार्मेट में है। एम0ओ0ई0एफ0 के गाईडलाईन के अनुसार सही फार्मेट में जिलाधिकारी सोनभद्र का प्रमाण पत्र (ग्राम स्तरीय समिति, खण्ड स्तरीय समिति व जिलास्तरीय समिति के प्रस्ताव के साथ) संलग्न करें।
10. प्रस्ताव के पेज संख्या 186 से 189 पर संलग्न गैर वन भूमि से सम्बन्धित मानचित्र/टोपोशीट पर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं है। कृपया हस्ताक्षरित मानचित्र/टोपोशीट संलग्न करें।
11. प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दस्तावेज फोटोस्टेट है तथा हस्ताक्षर भी ओरिजनल हस्ताक्षर नहीं है। कृपया प्रस्ताव के साथ संलग्न सभी दसतावेजो पर, सम्बन्धितों का ओरिजनल हस्ताक्षर कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

अतः आप द्वारा प्राप्त कराये गये प्रस्ताव की पांच प्रति मूल में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कमियों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीय

(प्रखर मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

O/c